सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/ATY-1678/MP/377/2024-RO-BH

दिनांक: 20.07.2026

कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट,
जिला-भोपाल,
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
कलेक्ट्रेट, ए-ब्लॉक, पुराना सचिवालय,
भोपाल-462001, मध्य प्रदेश
ई-मेल: dmbhopal@nic.in

पुलिस आयुक्त, भोपाल,
कार्यालय पुलिस आयुक्त,
मालवीय नगर,
भोपाल-462001, मध्य प्रदेश
ई-मेल: pc.bhopal@mppolice.gov.in

विषय: दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर "आदिवासी महिला के पति की 2019 में हो गई मौत- पत्नी की तरह रखा, दो बेटियों होने के बाद छोड़ा, एसआई पर ज्यादती का केस'' के सम्बंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 16.06.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

पूर्णेन्दु कान्त

(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free : 1800117777; Website: www.ncst.gov.in

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

पत्रावली संख्या - NCST/ATY-1678/MP/377/2024-RO-BH
दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार के आधार पर एक अनुसूचित जनजाति महिला के साथ कथित यौन शोषण, विवाह का झूठा प्रलोभन देने तथा पुलिस अधिकारी द्वारा पद का दुरुपयोग किए जाने संबंधी प्रकरण पर दिनांक 16.06.2026 को आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग/सुनवाई की दिनांक : 16.06.2026
सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

1. प्रकरण दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार के आधार पर आयोग द्वारा संज्ञान में लिया गया। प्रकाशित समाचार के अनुसार वर्ष 2019 में एक अनुसूचित जनजाति युवक की क्षय रोग (टीबी) के कारण मृत्यु हो गई थी। उक्त प्रकरण की मर्ग जांच एवं पोस्टमार्टम संबंधी कार्यवाही के दौरान संबंधित पुलिस अधिकारी राकेश शुक्ला का मृतक की पत्नी से संपर्क हुआ।
2. समाचार के अनुसार राकेश शुक्ला द्वारा महिला से बार-बार संपर्क कर उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु भोपाल बुलाया गया। दिनांक 01.11.2019 को महिला भोपाल पहुंची तथा रातीबड़ थाना परिसर में स्थित कक्ष में उसकी मुलाकात राकेश शुक्ला से हुई। महिला का आरोप है कि वहां उसे विवाह करने एवं जीवनभर साथ रखने का आश्वासन दिया गया तथा उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए गए।
3. समाचार में प्रकाशित तथ्यों के अनुसार इसके उपरांत संबंधित पुलिस अधिकारी विवाह का आश्वासन देकर लंबे समय तक महिला के साथ संबंध बनाए रखता रहा। महिला के लिए किराए का मकान उपलब्ध कराया गया तथा दोनों साथ रहने लगे। इस दौरान महिला ने दिनांक 18.03.2021 को एक पुत्री तथा दिनांक 18.02.2023 को दूसरी पुत्री को जन्म दिया। बाद में संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा महिला से विवाह करने से इंकार कर दिया गया।
4. समाचार में यह भी आरोप लगाया गया कि महिला का शारीरिक एवं मानसिक शोषण किया गया तथा उसे विवाह के नाम पर विश्वास में लेकर लंबे समय तक संबंध बनाए गए। प्रकरण में अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिला के साथ कथित उत्पीड़न एवं शोषण के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
5. प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 08.05.2024 को कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भोपाल तथा पुलिस आयुक्त, भोपाल को नोटिस जारी किया गया था। तथापि, सुनवाई की तिथि तक आयोग को संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ।
6. आयोग ने उपलब्ध अभिलेखों एवं समाचार में प्रकाशित तथ्यों का अवलोकन किया। प्रथम दृष्टया यह प्रकरण अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिला के साथ कथित शोषण, विश्वास का दुरुपयोग तथा कानून प्रवर्तन एजेंसी से जुड़े व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए गंभीर आरोपों से संबंधित प्रतीत होता है। ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच एवं पीड़िता को न्याय दिलाना अत्यंत आवश्यक है। सुनवाई के में उपस्थित अधिकारी ने आयोग को अवगत कराया कि उक्त प्रकरण में एफ. आई.आर. दर्ज कर दिया गय है तथा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आयोग में सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आई की अनुसूचित जनजाति समाज की महिला होने के बावजूद अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाही नहीं की गई है। उपलब्ध

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

प्राधिकारी ने आयोग को अवगत कराया कि महिला द्वारा अभी तक असूचित जनजाति समाज का होने का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है जिस कारण से अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध पंजीकरण नहीं हो सका है।

प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के उपरांत माननीय आयोग ने निम्न अनुशंसाएं की –

i. पुलिस आयुक्त, भोपाल द्वारा प्रकरण में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराध पंजीकरण करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाए तथा नियमानुसार देय राहत राशि प्रदान हेतु कार्रवाई की जाए।

ii. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भोपाल यह सुनिश्चित करें कि महिला का अनुसूचित जनजाति समाज का जाति प्रमाणपत्र प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र बनाया जाए। प्रकरण में हुए कार्रवाई रिपोर्ट को आयोग में 30 दिन के अंदर प्रस्तुत की जाए।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुसंधान एकक-I

****

फाइल. सं. NCST/ATY-1678/MP/377/2024-RO-BH

दिनांक: 16.06.2026

विषय: दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर "आदिवासी महिला के पति की 2019 में हो गई मौत- पत्नी की तरह रखा, दो बेटियों होने के बाद छोड़ा, एसआई पर ज्यादती का केस" के सम्बंध में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनाक 16.06.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2.	श्री पूर्णेदु कान्त	निदेशक		
3	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
4	श्री विवेकानंद शुक्ला	अन्वेषक		

कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, जिला-भोपाल,

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,

कलेक्ट्रेट, ए-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल-462001, मध्य प्रदेश

क. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	Manju			
2				
3				
4				

पुलिस आयुक्त, भोपाल, कार्यालय पुलिस आयुक्त,

मालवीय नगर, भोपाल-462001, मध्य प्रदेश

क. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	Manju Lohani	Addl DCP Bhopal	9958014191	[illegible]
2				
3				
4				